न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

2023-51RAAJodhpur2023-19RTA223 Ganpatram Vs Sajanram etc

गणपत राम पुत्र रामचन्द्र जाति विश्नोई निवासी–सालासर (ननेउ), तहसील फलोदी जिला फलोदी।

अपीलाण्ट ...

ब

ना

म

01. साजनराम पुत्र रामचन्द्र विश्नोई, निवासी– सालासर (ननेउ), तहसील फलोदी जिला फलोदी।
02. तहसीलदार फलोदी, जिला फलोदी।
03. आई सी आई सी आई बैंक, शाखा फलोदी जिला फलोदी।
04. जोधपुर सहकारी भूमि विकास बैंक जोधपुर जिला जोधपुर।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 वरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26 मई 2022 सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) फलोदी राजस्व मूल वाद संख्या 31/2021 साजनराम बनाम गणपतराम इत्यादि

उपस्थित–
श्री उम्मेदसिंह वावरला, अधिवक्ता–अपीलाण्ट
श्री वी. आर. विश्नोई, अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 2

नि र्ण य

दिनांक : 15 अप्रैल 2025

अपीलाण्ट ने सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) फलोदी द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 31/2021 अनवान साजनराम बनाम गणपतराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26 मई 2022 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 17 जनवरी 2023 को प्रस्तुत की है।

अपीलांट्स द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय परिसीमा अधिनियम प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या एक ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि खेत खसरा नम्बर 401 रकबा 110 बीघा 15 बिस्वा

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

गाँव सालासर(ननेउ) तहसील फलोदी के संबंध धारा 53 एवं 188 आर.टी.एक्ट के तहत वाद प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजी के विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा की इस्तदुआ चाही। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 26 मई 2022 को वाद प्राथमिक रूप से स्वीकार कर निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री जारी की गई, जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता–अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि पत्रावली विचारण न्यायालय में जवाबदावा में नियत थी जो आदेशिका दिनांक 14.03.2022 से स्पष्ट हैं। दिनांक 14.03.2022 की आदेशिका मे विचारण न्यायालय द्वारा वर्णित किया गया है कि वास्ते जवाबदावा हेतु अंतिम अवसर दिया जाकर मिसल दिनांक 26.05.2022 को पेश हो। अधिनस्थ न्यायालय ने दिनांक 26.05.2022 को न तो अपीलान्ट को जवाबदावा प्रस्तुत करने का अवसर दिया और न ही अपीलांट का जवाबदावा बंद किया गया। इस तरह अपीलान्ट का जवाब दावा बंद किये बिना ही विधि विरुद्ध एवं मनमाने तरीके से अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित कर दिया गया, जबकि अपीलान्ट व रेस्पोडेंट सख्या 1 की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों को अभिलेख पर लिये बिना निर्णय व डिक्री कानूनन पारित नहीं किया जा सकता हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने आवश्यक कानूनी प्रक्रिया अपनाये बिना ही मनमाना एवं विधि विरूद्ध निर्णय व डिक्री पारित किया है जिसे बहाल रखा जाना कतई न्यायोचित नहीं हैं। यह उल्लेखनीय है कि रेस्पोडेंट सख्या 1 ने अपने वाद के समर्थन में किसी प्रकार का साक्ष्य शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया और न ही दस्तावेजात प्रदर्शित करवाये गये। साक्ष्य के अभाव में वाद कानूनन डिक्री नहीं किया जा सकता हैं। इस कारण अपीलाधीन निर्णय व डिक्री का बिना किसी साक्ष्य के आधार पर पारित किये जाने से खारिज योग्य है।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय परिसीमा अधिनियम पर अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपीलांट को अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की पूर्व में कोई जानकारी नहीं थी तथा न ही अधिवक्ता ने अपीलान्ट को अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की कोई जानकारी दी। दिनांक 16.01.2023 को अपीलान्ट ने अपने अधिवक्ता से सम्पर्क किया, तब अधिवक्ता ने अपीलाधीन निर्णय व डिक्री के बारे में अपीलान्ट को बताया । अधिवक्ता के बताने पर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की दिनांक 16.01.2023 को प्रथम जानकारी हुई। इससे पूर्व अपीलान्ट को अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की कोई जानकारी

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

नहीं थी। अपीलांट द्वारा प्रथम जानकारी से हस्तगत अपील अंदर म्याद प्रस्तुत की गई है। माननीय उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय द्वारा अपने निर्णय नजीरों में विलंब के बिंदु पर नरम रूख अपनाने का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। अपीलांट द्वारा जानबुझकर अपील पेश करने में देरी नहीं की व अपीलांट कानूनी प्रकिया से अनभिज्ञ है जो उचित कारण से देरी क्षमा करने योग्य है।

अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय परिसीमा अधिनियम स्वीकार फरमाया जावे एवं अपील अपीलांट्स अंदर म्याद शुमार की जाकर गुणावगुण पर स्वीकार की जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) फलोदी द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 31/2021 अनवान साजनराम बनाम गणपतराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26 मई 2022 को खारिज फरमाया जावे।

जवाब में रेस्पोडेंट संख्या एक के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट पर सम्मनों की सम्यक तामील करवाये जाने एवं उसें जवाब प्रस्तुति का सम्यक अवसर प्रदान किये जाने के बावजूद भी अपीलांट की ओर से जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए प्रस्तुत दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य के आधार पर विभाजन के वाद में विधिसम्मत निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री पारित की गई है। विचारण न्यायालय द्वारा हस्तगत वाद में जमाबंदी में पक्षकारान् के दर्ज हक–हिस्से अनुसार ही निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री पारित की है। अपीलांट के हिस्से मे किसी प्रकार का कोई फेरबदल नहीं किया गया है तथा न ही अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील में उसके हक–हिस्से में परिवर्तन का उज्र उठाया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन एवं म्याद बाधित होने से खारिज फरामायी जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। जहां तक अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुत किये जाने में हुए विलंब का प्रश्न है। मामले के गुणावगुण पर निस्तारण हेतु म्याद के बिंदु पर नरम रूख अपनाते हुए

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

न्याय हित में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय परिसीमा अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाती है।

गुणावगुण पर विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री के अवलोकन पर प्रकट होता है कि विचारण न्यायालय द्वारा वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 401 रकबा 110.15 बीघा ग्राम सालासर पटवारी हल्का ननेउ में वादीगण एवं प्रतिवादीगण के जमाबंदी में दर्ज हक–हिस्सेनुसार (क्रमशः 1107/2215 एवं 1107/2215) बाई मिट्स एवं बाउण्ड्स में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम(राजस्व मण्डल) के नियम 18 से 21 की पालना में विभाजन प्रस्ताव तलब किये जाने के निर्देश दिये गये है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट के हक–हिस्से में किसी प्रकार का कोई फेरबदल नहीं किया गया है तथा न ही अपीलांट द्वारा हक–हिस्से में परिवर्तन का कोई उज्र उठाया गया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री जमाबंदी में दर्ज हिस्से अनुसार पारित किये जाने से उसमें किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नहीं पाये जाने से उसमें हस्तक्षेप किया जाना अदालत हाजा की राय में उचित नहीं है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) फलोदी द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 31/2021 अनवान साजनराम बनाम गणपतराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26 मई 2022 यथावत रखे जाते है। साथ ही तहसीलदार फलोदी को निर्देशित किया जाता है कि वह स्वयं मौके पर जाकर उभय पक्ष की उपस्थिति में बाई मिट्स एवं बाउण्ड्स नये सिरे से विभाजन प्रस्ताव तैयार कर विचारण न्यायालय को प्रेषित करे। विचारण न्यायालय विभाजन प्रस्ताव पर उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए विधिनुसार अंतिम डिक्री जारी करे। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

डिक्री वसीगे अपील

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

बइजलास श्री ओमप्रकाश बिश्नोई, आर.ए.एस.

2023-51RAAJodhpur2023-19RTA223 Ganpatram Vs Sajanram etc

अपीलाण्ट		रेस्पोडेण्ट
गणपत राम पुत्र रामचन्द्र जाति विश्नोई निवासी—सालासर (ननेउ), तहसील फलोदी जिला फलोदी।	ब ना म	01. साजनराम पुत्र रामचन्द्र विश्नोई, निवासी— सालासर (ननेउ), तहसील फलोदी जिला फलोदी। 02. तहसीलदार फलोदी, जिला फलोदी। 03. आई सी आई सी आई बैंक, शाखा फलोदी जिला फलोदी 04. जोधपुर सहकारी भूमि विकास बैंक जोधपुर जिला जोधपुर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26 मई 2022 सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) फलोदी राजस्व मूल वाद संख्या 31/2021 साजनराम बनाम गणपतराम इत्यादि

यह अपील बतारीख 15 अप्रैल 2025 बहाजरी अधिवक्ता श्री उम्मेदसिंह राजपुरोहित मिनजानिब अपीलाण्ट, श्री वी.आर. विश्नोई अधिवक्ता रेस्पोडेंट्स एवं श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता उपस्थित होकर हुक्म हुआ कि अपील अपीलांट स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर ;फास्ट ट्रेकद्ध फलोदी द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 31/2021 अनवान साजनराम बनाम गणपतराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26 मई 2022 यथावत रखे जाते है। साथ ही तहसीलदार फलोदी को निर्देशित किया जाता है कि वह स्वयं मौके पर जाकर उभय पक्ष की उपस्थिति में वाई मिट्स एवं बाउण्ड्स नये सिरे से विभाजन प्रस्ताव तैयार कर विचारण न्यायालय को प्रेषित करे। विचारण न्यायालय विभाजन प्रस्ताव पर उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए विधिनुसार अंतिम डिक्री जारी करे। खर्चा पक्षकारान् वहन करे।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुबलिग ---00---) रुपये ------00-------- अदा करें। खर्चा मुकदमा मातहत का ----00------ अदा करें।

बसब्त मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत हाजा तारीख 15 अप्रैल 2025 को जारी किया गया।

(ओमप्रकाश बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

खर्चा अपील

अपीलाण्ट	राशि	रेस्पोडेण्ट	राशि
1. स्टाम्प अपील 2. स्टाम्प वकालतनाम 3. इजराय हुक्मनामा 4. वकील फीस बाबत मीजान	/	1. स्टाम्प वकालतनामा 2. स्टाम्प अर्जी 3. इजराय हुक्मनामा 4. मेहनताना वकील मीजान	/

(ओमप्रकाश बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर